

प्रेस नोट थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर दिनांक 29.03.2025

नौकरी दिलाने के नाम पर कूटरचित एवं अवैध नियुक्ति पत्र देने के आरोप में 01 नफर
अभियुक्ता गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक चौरी चौरा के नेतृत्व में उ0 नि0 अजीत कुमार यादव मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 50/24 धारा 420,406,504,506,467,468,471 भादवि से संबंधित अभियुक्ता ममता पाठक को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्ता द्वारा वादी मुकदमा को नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा लेकर, अवैध/कूटरचित नियुक्ति पत्र देने व पैसा मांगने पर गाली-गुफ्ता देने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम, पता व आपराधिक इतिहास-

ममता पाठक पत्नी राकेश पाठक निवासी 192 डिवाइन स्कूल मोहनपुर रोड ग्राम जंगल हाकिम नं. 2 थाना शाहपुर
जनपद गोरखपुर

आपराधिक इतिहास-

- i. मु0अ0सं0 486/23 धारा 406,506 भादवि थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
- ii. मु0अ0सं0 487/23 धारा 406,504,506 भादवि थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
- iii. मु0अ0सं0 50/24 धारा 406,420,467,468,471,504,506 भादवि थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 अजीत कुमार यादव थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
2. हे0कां0 उदय प्रताप सिंह थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
3. म0कां0 वैशाली शर्मा थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर